



परिवार और बाल सेवा विभाग

**पूरक पोषाहार सहायता कार्यक्रम-SNAP**  
**(फूड स्टैम्प्स)**

**जॉर्जिया**  
**में**

जॉर्जिया में फूड स्टैम्प कार्यक्रम

## फूड स्टैम्प कार्यक्रम क्या है?

पूरक पोषाहार सहायता कार्यक्रम (SNAP) जिसे फूड स्टैम्प कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, संघ द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रम है जिसमें कम-आय वाले परिवारों को भोजन की लागत के भुगतान में मदद करने के लिए मासिक लाभ प्रदान किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में कम-आय वाले परिवारों को पोषण-संबंधी शिक्षा भी दी जाती है ताकि स्वस्थ भोजन संबंधी आदतों और स्वस्थ जीवन-शैली को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही कम-आय वाले परिवारों और समुदायों के लिए फूड स्टैम्प कार्यक्रम के फायदों को बढ़ावा देने के लिए एकल निःसंतान वयस्कों के लिए रोज़गार और प्रशिक्षण के अवसर और आगे बढ़ने संबंधी गतिविधियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

## एक परिवार क्या है?

एक परिवार अकेला रहने वाला व्यक्ति, एक कुटुम्ब, या अनेक असंबंधित व्यक्ति हो सकते हैं जो एक साथ रहते हैं और नियमित रूप से भोजन साथ-साथ खरीदते और तैयार करते हैं। कुछ परिवार के सदस्य या व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं पर नियमित रूप से भोजन साथ-साथ नहीं खरीदते और तैयार नहीं करते, उन्हें परिवार में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए, केसकर्मी को सामाजिक सुरक्षा नंबर, अप्रवास स्थिति और नागरिकता प्रदान करने की ज़रूरत नहीं होती। व्यक्ति को परिवार में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं इस बात का फ़ैसला संघीय नियमों पर आधारित होगा।

## परिवार को किस तरह की आवेदक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं?

अगर आपको एक दुभाषिये की ज़रूरत है, फॉर्म भरने में मदद चाहिए, विकलांगता के लिए छूट चाहिए या अपना आवेदन-पत्र भरने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता चाहिए तो हमसे पूछें या 1-877-423-4746 पर कॉल करें। अगर आप बहरे हैं या आपको सुनने में परेशानी होती है, तो 1-800-255-0135 पर GA रिले को कॉल करें। ये सेवाएँ मुफ्त हैं और उन सबको प्रदान की जाएँगी जिन्हें इनकी ज़रूरत है।

## फूड स्टैम्प लाभ के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

फूड स्टैम्प लाभ के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। यह कार्यक्रम सीमित आय और संसाधनों

वाले परिवारों की मदद करता है। इसमें अस्थायी संकट का सामना करने वाले परिवार और साथ ही वे परिवार शामिल हैं जिनकी आय गरीबी के स्तर पर या उससे नीचे है।

### **आपको आवेदन कहाँ करना होगा?**

प्रत्येक काउंटी में एक परिवार और बाल सेवा विभाग (DFCS) कार्यालय है। यह विभाग फूड स्टैम्प लाभों के लिए आवेदन लेता है। अपने स्थानीय विभाग का पता और टेलीफोन नंबर खोजने के लिए अपनी टेलीफोन पुस्तिका के काउंटी सरकार अनुभाग के अंतर्गत देखें या [www.dfcs.dhr.georgia.gov/locations](http://www.dfcs.dhr.georgia.gov/locations) पर जॉर्जिया मानव सेवा विभाग (DHS) की वेबसाइट पर जाएँ।

### **आप आवेदन कब कर सकते हैं?**

परिवार और बाल सेवा विभागों के सभी कार्यालय सप्ताहांत और छुट्टी के दिनों को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहते हैं। कार्यालय समय आम तौर से प्रातः 8:00 से दोपहर 5:00 तक होता है। अपने क्षेत्र में कार्यालय का समय जानने के लिए अपने स्थानीय काउंटी विभाग को कॉल करें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र दिन में 24 घंटे जॉर्जिया COMPASS वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हैं: [www.compass.ga.gov](http://www.compass.ga.gov).

### **अधिकृत प्रतिनिधि क्या है?**

अधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति है जिसे आपका परिवार, आपके परिवार की ओर से फूड स्टैम्प लाभों के लिए आवेदन करने, उसे प्राप्त करने और/या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है, क्योंकि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं।

### **आप लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?**

लाभों के लिए आवेदन करने के लिए, परिवार का मुखिया, परिवार का सदस्य, या परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकृत व्यक्ति सहायता के लिए आवेदन-पत्र भर सकता है। आवेदन-पत्र

परिवार और बाल सेवाओं के आपके स्थानीय काउंटी विभाग या DHS की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आप आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय में जा सकते हैं, कार्यालय को कॉल करके अनुरोध कर सकते हैं कि आवेदन-पत्र आपके घर के पते पर डाक से भेजे, या किसी को अपने लिए फॉर्म लाने के लिए कह सकते हैं। आप यहाँ वेबसाइट पर उपलब्ध रिक्त आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि कर सकते हैं: [www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps](http://www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps). फॉर्म भरें और इसे डाक से भेजें या फैंक्स करें या अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय में ले आएं।

### **मैं लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करूँ?**

आप COMPASS वेबसाइट के माध्यम से फूड स्टैम्प्स के लिए [www.compass.ga.gov](http://www.compass.ga.gov) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र कर सकते हैं। COMPASS व्यक्तियों को फूड स्टैम्प्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने देता है। ऑनलाइन खाता बनाने वाले आवेदक अपने आवेदन-पत्र की स्थिति की जाँच कर सकते हैं और COMPASS पूर्व-जाँच उपकरण के माध्यम से अन्य DHS कार्यक्रमों के लिए अपनी पात्रता की जाँच भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फूड स्टैम्प प्राप्तकर्ता परिवार COMPASS पर परिवार की परिस्थितियों में परिवर्तन की रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने लाभों को ऑनलाइन नवीनीकृत करवा सकते हैं।

### **कोई आवेदन-पत्र कब दाखिल हुआ माना जाता है?**

एक आवेदन-पत्र तब दाखिल हुआ माना जाता है जब आवेदन-पत्र में परिवार के मुखिया का नाम, पता, तिथि और परिवार के मुखिया या परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर हो और उसे स्थानीय काउंटी विभाग ने प्राप्त किया हो। आवेदन-पत्र को परिवार और बाल सेवा विभाग में निजी रूप से, डाक या फैंक्स से या ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन-पत्र को परिवार और बाल सेवाओं के आपके स्थानीय काउंटी विभाग में दाखिल किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार और बाल सेवा विभाग का कोई भी दफ्तर आपका आवेदन-पत्र स्वीकार कर सकता है। आपको आवेदन-पत्र पूरा भरने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना टेलीफोन नंबर और/या पता दें ताकि DFCS फ़ोन द्वारा आप तक पहुँचने में सक्षम हो।

### **आवेदन-पत्र दाखिल करने के बाद क्या होता है?**

DFCS के कर्मचारी द्वारा आपका या आपके परिवार के सदस्य (या आपके परिवार के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति) का इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाए, उसे आपके परिवार की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। फ़ोन पर इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग/विकलांग व्यक्ति जिसे कार्यालय में आने में समस्या हो उनका इंटरव्यू टेलीफ़ोन, घर पर पूर्व-आयोजित मुलाकात, या कार्यालय की मुलाकात से लिया जा सकता है। इंटरव्यू के बारे में पता लगाने के लिए अपने स्थानीय विभाग से संपर्क करें।

### इंटरव्यू में क्या होता है?

केसकर्मी आपसे आपके परिवार की आय, संसाधनों, किराया या बंधक, और उपयोगिता की लागत के बारे में सवाल पूछेगा। कुछ परिवारों से चिकित्सा व्यय, शिशु-देखभाल और बाल समर्थन खर्च के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपके परिवार की स्थिति का प्रमाण होना ज़रूरी है, इसलिए अगर आपके पास निम्नलिखित जानकारी है, तो आप इसे अपने साथ ला सकते हैं:

- \* अपनी पहचान का सबूत
- \* अपनी नागरिकता का सबूत जैसे जन्म प्रमाणपत्र, यू.एस. पासपोर्ट, अस्पताल का रिकॉर्ड, आदि
- \* लाभों के लिए आवेदन करने वाले उन व्यक्तियों के अप्रवास कागजात जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं
- \* लाभों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा नंबर
- \* परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय का प्रमाण (चेक स्टब्स, सामाजिक सुरक्षा या वयोवृद्ध प्रशासन के लिए अधि-निर्णय पत्र, बेरोज़गारी लाभ, परिवार या दोस्तों का योगदान, बाल समर्थन, आदि)
- \* पिछले महीने की किराया रसीद या बंधक भुगतान पुस्तिका
- \* 60 और उससे ज़्यादा उम्र वाले और/या विकलांगों के चिकित्सा बिल
- \* उन बच्चों की शिशु-देखभाल रसीदें जिनके माता-पिता काम करते हैं, पढ़ते हैं, या प्रशिक्षण में हैं
- \* आपकी स्थिति के आधार पर अतिरिक्त जानकारी और सबूत ज़रूरी हो सकते हैं।

पहली बार आवेदन करते समय अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको ज़रूरी प्रमाण

उपलब्ध कराने के लिए भेंटवार्ता की तिथि से 10 दिन का समय दिया जाता है।

भेंटवार्ता परिवार की परिस्थितियों पर आधिकारिक और गोपनीय चर्चा है। भेंटवार्ताकर्ता को मात्र जानकारी इकट्ठा और उसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि किसी अस्पष्ट या अधूरी जानकारी का पता लगाना और उसका समाधान करना चाहिए।

अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति हमें सामाजिक सुरक्षा नंबर या आप्रवास स्थिति या नागरिकता के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता, तो वह व्यक्ति फूड स्टैम्प लाभ का पात्र नहीं होगा। परिवार के अन्य सदस्य तब भी लाभ के पात्र हो सकते हैं।

जो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा नंबर नहीं देना चुनता है, उसकी रिपोर्ट होमलैंड सुरक्षा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता और आप्रवास सेवा को नहीं की जाती।

### क्या आप पात्र हैं?

आप फूड स्टैम्प लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं अगर:

- आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं या आपकी निश्चित कानूनी विदेशी स्थिति है
- आप परिवार की स्थिति के सबूत के रूप में सभी ज़रूरी दस्तावेज़ प्रदान करते हैं
- आप और/या परिवार के अन्य सदस्य काम की ज़रूरतों का अनुपालन करते हैं
- परिवार में रहने वालों की संख्या के आधार पर परिवार की मासिक आय अगर आय सीमा से ज़्यादा नहीं है
- पात्रता निर्धारण प्रक्रिया में किराया या बंधक भुगतान, उपयोगिता बिल, और कुछ मामलों में चिकित्सा, शिशु देखभाल और बाल समर्थन व्यय पर विचार किया जाता है अगर इन खर्चों के सबूत दिए जाते हैं।

लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आवेदन-पत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिन के भीतर उस पर प्रक्रिया हो जानी चाहिए और लाभ उपलब्ध हो जाने चाहिए। अगर आपके परिवार की कम या कोई आय नहीं है और यह विशिष्ट मानदंड पूरा करता है, तो आवेदन-पत्र पर 7 दिन के भीतर प्रक्रिया हो जानी चाहिए और लाभ उपलब्ध हो जाने चाहिए। प्रत्येक परिवार को इस बात का उल्लेख करते हुए नोटिस भेजा जाता है कि परिवार फूड स्टैम्प लाभ के लिए पात्र है या नहीं। अगर परिवार पात्र है, तो नोटिस में उल्लेख होगा कि उसे लाभ की कितनी राशि मिलेगी और पुनः आवेदन करने से पहले परिवार को कितने समय तक लाभ प्राप्त होगा।

आपको कितना लाभ मिलेगा?

आपके परिवार को मिलने वाले लाभ की राशि आपके फूड स्टैम्प परिवार में व्यक्तियों की संख्या, परिवार की आय की राशि और बजट प्रक्रिया में उपयोग की गई कटौती की राशि पर निर्भर करते हैं। पहले महीने में परिवार को मिलने वाली लाभ की राशि पर

आवेदन-पत्र की तिथि से असर होता है। जब तक आपका परिवार पात्र बना रहता है, तब तक हर महीने लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपके EBT खाते में शेष लाभ का उपयोग उसे खत्म होने तक कर सकते हो, चाहे आपका फूड स्टैम्प मामला बंद हो जाए।

अगर आप सोचते हैं कि आपके मामले पर निर्णय अनुचित है तो आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपका मानना है कि आपके मामले पर निर्णय उचित नहीं है तो आपके पास न्यायोचित सुनवाई करने का अधिकार है। आप अपने स्थानीय काउंटी विभाग को लिखकर या कॉल करके न्यायोचित सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। अगर आप न्यायोचित सुनवाई का अनुरोध करना चाहते हैं, तो आपको अपना पात्रता का नोटिस मिलने के 10 दिन के भीतर अपने स्थानीय काउंटी विभाग से संपर्क करना चाहिए।

आपको फूड स्टैम्प लाभ कैसे जारी किए जाते हैं?

लाभ विद्युत लाभ स्थानांतरण (EBT) कार्ड और निजी पहचान नंबर (PIN) का उपयोग करके जारी किए जाते हैं। अगर आप लाभ के पात्र हैं, तो EBT कार्ड और PIN आपके परिवार को डाक से भेज दिया जाता है। परिवार भोजन खरीदने के लिए अधिकृत स्टोर में EBT कार्ड का उपयोग करता है।

जब चेक आउट काउंटर पर भोजन लाभ खरीद की कुल राशि निर्धारित की जाती है, तो आप बिक्री बिंदु डिवाइस के माध्यम से अपना EBT कार्ड स्वाइप करते हैं और अपना PIN नंबर दर्ज करते हैं। खरीद की राशि आपके कुल मासिक आबंटन से काट ली जाती है।

फूड स्टैम्प लाभ से क्या खरीदा जाता है?

लाभ का उपयोग केवल आपके परिवार के खाने के लिए, भोजन और पौधे या बीज खरीदने के लिए किया जा सकता है जो भोजन उगाते हैं। फूड स्टैम्प लाभ से कुछ भोजन पूरक खरीदे जा सकते हैं, जैसे एन्शयोर। फूड स्टैम्प लाभ से बर्फ, पानी और ठंडे या कमरे के तापमान के खाद्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें स्टोर में खाने के लिए नहीं बनाया है।

फूड स्टैम्प लाभ से क्या नहीं खरीदा जाता?

फूड स्टैम्प लाभ का उपयोग अल्कोहल पेय, सिगरेट या तंबाकू, साबुन और कागज़ उत्पाद जैसी पारिवारिक आपूर्ति, दवाएँ, विटामिन, पालतू पशु का भोजन, या कोई गैर-खाद्य वस्तु खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता।

आप फूड स्टैम्प लाभ कहाँ खर्च कर सकते हैं?

अमेरिकी कृषि विभाग के खाद्य और पोषण सेवा द्वारा अधिकृत खाद्य स्टोर भोजन खरीदने के लिए EBT के लेनदेन को स्वीकार कर सकते हैं। ज्यादातर स्टोर यह इंगित करने के संकेत प्रदान करते हैं कि खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए फूड स्टैम्प लाभ का उपयोग किया जा सकता है।

आपको फूड स्टैम्प लाभ कब तक मिलते हैं?

अगर आपका परिवार पात्र है, तो उसे पुनः आवेदन करने से पहले एक महीने से एक साल तक फूड स्टैम्पस मिल सकते हैं। प्रमाणीकरण अवधि के अंतिम महीने में, आपके परिवार को DFCS से नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। इस पत्र में आपको बताया जाता है कि आपके प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने वाली है और कि आपके परिवार को फिर से आवेदन करना चाहिए। अगर

आप इस पत्र का जवाब समय पर देते हैं, तो आपके लाभ जारी रहेंगे, अगर आपका परिवार अभी भी पात्र है। अगर आप नियुक्ति पत्र का जवाब नहीं देते, तो आपके लाभ बंद हो जाएंगे।

लाभ प्राप्त करते समय आपके परिवार को कौनसे परिवर्तन रिपोर्ट करने चाहिए?

सरलीकृत रिपोर्टिंग परिवार - जॉर्जिया में सभी फूड स्टैम्प परिवारों की सरलीकृत रिपोर्टिंग ज़रूरतें हैं। इसका मतलब यह है कि आपको परिवर्तन की रिपोर्ट केवल उस स्थिति में करनी है जब आपकी कुल सकल मासिक आय आपके परिवार के कद के लिए संघीय गरीबी के स्तर के 130% से पार हो जाती है।

आपका केसकर्मि आपको यह ज़रूरत समझाएगा। आप DFCS कॉल सेंटर को 1-877-423-4746 पर या [www.compass.ga.gov](http://www.compass.ga.gov) पर परिवर्तन रिपोर्ट कर सकते हैं।

आपके उत्तरदायित्व क्या हैं?

- आपको सभी सवालों के पूरी तरह जवाब देने चाहिए।
- आपको, झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत, यह प्रमाणित करने के लिए अपने नाम के हस्ताक्षर करने चाहिए कि सभी जवाब सही हैं।
- आपकी पात्रता के सबूत उपलब्ध कराए।
- परिवार की परिस्थितियों में बदलाव रिपोर्ट करने चाहिए।
- अपने फूड स्टैम्प लाभ बेचने, व्यापार करने, या किसी को देने नहीं चाहिए।
- फूड स्टैम्प लाभ का उपयोग केवल पात्र चीजे खरीदने के लिए करना चाहिए।

नियम तोड़ने के दंड क्या हैं?

जानबूझकर ग़लत जानकारी प्रदान करनेके कारण आप अपने लाभ खो सकते हैं या आप पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

- जो आपके घर को नहीं मिलने चाहिए वे लाभ प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी मत दें या जानकारी मत छिपाएँ।
- उन फूड स्टैम्प्स या EBT कार्ड का इस्तेमाल न करें जो आपके नहीं हैं और किसी दूसरे को अपने कार्ड इस्तेमाल न करने दें।
- खाद्य लाभका इस्तेमाल गैर-खाद्य चीज़ें जैसे आल्कोहल या सिगरेट खरीदने के लिए या क्रेडिट कार्ड पर भुगतान करने के लिए न करें।
- फूड स्टैम्प्स या EBT कार्ड का इस्तेमाल गैर-क़ानूनी चीज़ों के व्यापार या बेचने के लिए मत करें; जैसे आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद या नियंत्रित पदार्थ (गैर-क़ानूनी नशीली दवाएँ)।

अगर आपके घर में कोई इन नियमों को जानबूझकर तोड़ता है तो उसे फूड स्टैम्प कार्यक्रम से एक साल से लेकर स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है, \$250,000 तक का जुर्माना, 20 साल तक के लिए कैद या दोनों किया जा सकता है। उस पर अन्य लागू संघीय और राज्य क़ानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और अगर अदालत आदेश देती है तो उसे अतिरिक्त 18 महीने के लिए भी फूड स्टैम्प कार्यक्रम से वर्जित किया जा सकता है।

अगर आपके घर में कोई नियमों को जानबूझकर तोड़ता है तो उसे पहले अपराध के लिए एक साल तक, दूसरे अपराध के लिए दो साल तक, और तीसरे अपराध के लिए स्थायी रूप से फूड स्टैम्प कार्यक्रम नहीं मिल सकेगा।

अगर अदालत आपको नियंत्रित पदार्थ की बिक्री से जुड़े सौदे में लाभ का इस्तेमाल करने या प्राप्त करने का दोषी पाती है, तो आप पहले अपराध के लिए दो साल के लिए और दूसरे अपराध के लिए स्थायी रूप से लाभ का पात्र नहीं हो

सकेंगे।

अगर अदालत आपको आग्नेयास्त्रों के, गोलाबारूद या विस्फोटकों बिक्री से जुड़े सौदे में लाभ का इस्तेमाल करने या प्राप्त करने का दोषी पाती है, तो आप पहले अपराध के लिए स्थायी रूप से लाभ का पात्र नहीं हो सकेंगे।

अगर अदालत आपको \$500.00 से अधिक लाभ की तस्करी करने का दोषी पाती है, तो आप पहले अपराध के लिए स्थायी रूप से लाभ का पात्र नहीं हो सकेंगे।

अगर यह पाया जाता है कि आप या घर के किसी सदस्य को अनेक फूड स्टैम्प लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान के संबंध में (वे कौन हैं) या निवास की जगह (जहाँ वे रहते हैं) धोखाधड़ी का बयान या प्रतिनिधित्व दिया है, तो आप या घर का वह सदस्य 10 साल की अवधि के लिए फूड स्टैम्प कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

परिवार को लाभ कब उपलब्ध होते हैं?

लाभ EBT खाते में हर महीने 5 से 23 तारीख के बीच जमा किए जाते हैं। अपने लाभ तक पहुँच के लिए आपको अपने EBT कार्ड और PIN की ज़रूरत होगी। अगर आपका EBT कार्ड खो या चोरी हो जाता है या आप अपना PIN भूल जाते हैं, तो 1-888-421-3281 पर EBT ग्राहक सेवा हेल्पलाइन को कॉल करें। आपका खोया या चोरी हुआ कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। आपके परिवार को नया EBT कार्ड और/या PIN जारी किया जाएगा। अपने EBT के खाते के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए, यहाँ लॉग ऑन करें: [www.ebtaccount.jpmorgan.com](http://www.ebtaccount.jpmorgan.com)। अपना कार्ड नंबर और निजी पहचान नंबर (PIN) का उपयोग करके, आप यह कर सकते हैं:

- अपने खाते के मौजूदा शेष की जाँच करना
- अपने लेनदेन इतिहास की समीक्षा करना
- अपना PIN बदलना
- ग्राहक सेवा से संपर्क करना

अपनी जानकारी तक पहुँच करने के लिए आपको अपना कार्ड नंबर तैयार रखना चाहिए। अपना EBT कार्ड और PIN सुरक्षित जगह पर रखना याद रखें। अगर किसी को आपका EBT कार्ड और PIN मिल जाता है, तो वह व्यक्ति आपके लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। आपके EBT खाते से लिए गए लाभ DFCS द्वारा फिर नहीं दिए जाते।

आपके ये अधिकार हैं:

- जब आप आवेदन-पत्र माँगे तो आप उसे प्राप्त करें।
- जब आप अपना आवेदन-पत्र दाखिल करें तो उसे स्वीकार किया जाए।
- अगर आप फूड स्टैम्प कार्यालय नहीं जा सकते, तो किसी वयस्क से अपने परिवार के लिए आवेदन-पत्र दाखिल करवा सकते हैं।
- अगर आपकी उम्र 60 साल या ज़्यादा है या अगर आप विकलांग हैं और आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो आपकी ओर से आवेदन कर सके, तो आपके घर मुलाकात या टेलीफोन भेंटवार्ता करवा सकते हैं।
- अपना आवेदन-पत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपना EBT कार्ड और PIN प्राप्त करें, अगर

आप पात्र हैं, या

- अपना आवेदन-पत्र दाखिल करने की तिथि से 5 दिन के भीतर अपना EBT कार्ड और PIN प्राप्त करें, अगर आप शीघ्र सेवाओं के लिए पात्र हैं।
- उम्र, लिंग, जाति, रंग, विकलांगता, धार्मिक पंथ, राष्ट्रीय मूल, या राजनीतिक मान्यताओं से हटकर आपसे उचित व्यवहार हो।
- अगर आप अपने मामले पर की गई किसी कार्रवाई से असहमत हों तो न्यायोचित सुनवाई प्राप्त करें।
- अपने मामले की फ़ाइल और कार्यक्रम के नियमों की जाँच करें।
- बदलाव लिखित रूप में रिपोर्ट न करने के कारण आपके लाभ कम या बंद कर दिए जाते हैं तो आपको अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाए।

परिवार और बाल सेवा विभाग की अपेक्षा है कि कोई आवेदक या प्राप्तकर्ता एजेंसी की सेवाओं से: प्रभाग द्वारा आयोजित या समर्थित किसी कार्यक्रम या गतिविधि के अंतर्गत नस्ल, रंग, लिंग, आयु, धर्म, राष्ट्रीय मूल, राजनीतिक संबद्धता, या विकलांगता के आधार पर भाग लेने से मना न किया जाए, लाभ से वंचित न किया जाए, या अन्यथा भेदभाव का विषय न बने। यह अपेक्षा व्यक्तियों, शिशु-देखभाल सुविधाओं, और अन्य एजेंसियों/संगठनों पर लागू होती है जिनमें विभाग रेफ़रल करता या सेवाएँ खरीदता है।

"संघीय क़ानून और अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) और अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) की नीति के अनुसार, यह संस्था नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, आयु, लिंग, और कुछ मामलों में धर्म और राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव करने से निषिद्ध है। अमेरिकी कृषि विभाग के ग्राहकों, कर्मचारियों, और आवेदकों के खिलाफ नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, लिंग, लैंगिक पहचान, धर्म, प्रतिशोध, और जहाँ लागू हो राजनीतिक मान्यताओं, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक या माता पिता का स्थिति, लैंगिक अभिविन्यास, या सभी या आय का एक हिस्सा किसी सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम से मिलता हो या रोजगार में दी गयी संरक्षित आनुवंशिक जानकारी या किसी भी कार्यक्रम में या विभाग निधि द्वारा प्राप्त होने के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। (सभी निषिद्ध आधार सभी कार्यक्रमों और/या गतिविधियों को लागू नहीं होंगे)।"

USDAमें नागरिक अधिकार कार्यक्रम भेदभाव की शिकायत दाखिल करने के लिए, यहाँ क्लिक करके

[http://www.ascr.usda.gov/complaint\\_filing\\_cust.html](http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html) USDA कार्यक्रम भेदभाव शिकायत फॉर्म भरें या किसी भी USDA कार्यालयसे संपर्क करें, या फॉर्म के लिए कॉल करें **(866) 632-9992**। फॉर्ममें जरूरी माहितीके साथ आप खत भी भेज सकते हैं। पूरा भरा हुआ फॉर्म या खत डाक से U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 भेजे, या (202) 690-7442 पर फ़ैक्स करें या [program.intake@usda.gov](mailto:program.intake@usda.gov) पर ईमेल करें।

बहरे व्यक्ति, ऊँचा सुननेवाले व्यक्ति या वाक् विकलांग व्यक्ति USDA का संपर्क संघीय रिले सेवाके माध्यमसे (800) 877-8339 या (800) 845-6136 (Spanish) करें। इसके आलावा पूरक पोषाहार सहायता कार्यक्रम (SNAP) की समस्याओं के लिए, USDA SNAP हॉटलाइन (800) 221-5689 पर कॉल करें, जो स्पेनिश में भी है, या राज्यस्थित माहिती/हॉटलाइन के

लिए यहाँ क्लिक करें [http://www.fns.usda.gov/snap/contact\\_info/hotlines.htm](http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm) ।

संघीय निधि सहायता प्राप्त कार्यक्रम के बारे में भेदभाव की शिकायत दाखिल करने यहाँ लिखें HHS, Director, Office of Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C., 20201 या कॉल करें (202) 619-0403 (ध्वनि) or (202) 619-3257 (TTY).

USDA और HHS समान अवसर प्रदाता और नियोक्ता हैं।

परिवार और बाल सेवा विभाग समस्याओं में मदद करने और आपके फूड स्टैम्प लाभ के बारे में ज्यादा प्रश्नों के उत्तर के लिए उपलब्ध है।

अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय से संपर्क करें

या

टोल फ्री नंबर **1-877-423-4746** पर कॉल करें